



भारतीय वदिश सेवा (आईएफएस)

भारतीय वदिश मंत्रालय के कार्यों के संचालन के लिये एक विशेष सेवा वर्ग का निर्माण किया गया है जिसे भारतीय वदिश सेवा (Indian Foreign Service-IFS) कहते हैं। यह भारत के पेशेवर राजनयिकों का एक नकिया है। यह सेवा भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा है। भारत के वदिश सचिव, भारतीय वदिश सेवा के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। यह सेवा अब संभ्रान्त परिवारों, राजा-रजवाड़ों, सैनिक अफसरों आदितक ही सीमति न रहकर सभी के लिये खुल गई है। सामान्य नागरिक भी अपनी योग्यता और शक्तिषा के आधार पर इस सेवा का हिस्सा बन सकता है।

चयन प्रक्रिया:

- भारतीय वदिश सेवा में चयन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित 'सविलि सेवा परीक्षा' के द्वारा होता है।
- सविलि सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों और उनके द्वारा दी गई सेवा वरीयता के अनुसार ही पदों का आवंटन किया जाता है।
- इस सेवा के साथ अनेक चुनौतियाँ और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं, इसलिये संघ लोक सेवा आयोग इस सेवा के लिये ऐसे अभ्यर्थियों का ही चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हों।
- हाल के वर्षों में भारतीय वदिश सेवा में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। सेवा की वर्तमान केंडर संख्या लगभग 600 अधिकारियों की है, जिनमें लगभग 162 अधिकारी वदिशों में भारतीय मशिन एवं देश में वदिशी मामलों के मंत्रालय में वभिन्न पदों पर आसीन हैं।

शैक्षिक योग्यता:

- उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक (Graduate) होना अनविरय है।

प्रशक्तिषण:

- भारतीय वदिश सेवा के लिये चयनति नए सदस्यों को तीन वर्षीय (36 महीनों की अवधि) महत्त्वपूर्ण प्रशक्तिषण कार्यक्रम से होकर गुजरना पड़ता है। यह प्रशक्तिषण नमिनलिखित चरणों में संपन्न होता है-
 1. आधारभूत प्रशक्तिषण - 4 माह (राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी में)
 2. व्यावसायिक प्रशक्तिषण - 12 माह (ज़िला कार्यालय और अन्तरराष्ट्रीय स्कूल, नई दिल्ली में)
 3. व्यावहारिक प्रशक्तिषण - 6 माह (वदिश मन्त्रालय के अंतर्गत)
 4. परवीक्षा प्रशक्तिषण - 14 माह (वदिश स्थिति उच्चायुक्त/दूतावास में)
- सर्वप्रथम इन प्रशक्तिषु अधिकारियों को 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी' में 4 माह का आधारभूत प्रशक्तिषण दिया जाता है, जहाँ कई अन्य वशिष्ट भारतीय सविलि सेवा संगठनों के सदस्यों को भी प्रशक्तिषण किया जाता है।
- नए सदस्य एक परवीक्षा अवधि से गुजरते हैं, इस दौरान इन्हें परवीक्षार्थी (प्रोबेशनर) कहा जाता है।
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का प्रशक्तिषण पूरा करने के बाद परवीक्षार्थी आगे के प्रशक्तिषण के साथ-साथ वभिन्न सरकारी नकियों के साथ संलग्न होने और भारत एवं वदिश में भ्रमण के लिये नई दिल्ली स्थिति 'वदिश सेवा संस्थान' में दाखला लेते हैं।
- इन प्रशक्तिषु अधिकारियों को 'इंडियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज़, नई दिल्ली' में 4 माह का वदिश नीति तथा कार्य-प्रणाली, अन्तरराष्ट्रीय संबंध तथा भाषा की जानकारी का प्रशक्तिषण दिया जाता है।
- इसके पश्चात् प्रशक्तिषु अधिकारियों को 6 माह के लिये किसी ज़िला प्रशासन से संलग्न किया जाता है ताकिये दायित्व के व्यावहारिक सम्पर्क में आने के योग्य हो जाएँ। साथ ही, इन्हें कुछ समय के लिये वदिश मन्त्रालय के सचिवालय में भी प्रशक्तिषण प्रदान किया जाता है।
- आईएफएस के लिये प्रशक्तिषण कार्यक्रम में भाषाओं (हिन्दी तथा एक वदिशी भाषा) और ऐसे वषियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है जिनका ज्ञान प्राप्त करना एक आईएफएस अधिकारी के लिये आवश्यक समझा जाता है।
- नए सदस्यों को कुछ दिनों के लिये सेना की यूनिट में तथा 'भारत दर्शन' के लिये भी भेजा जाता है।
- प्रशक्तिषण कार्यक्रम के समापन पर अधिकारी को अनविरय रूप से एक वदिशी भाषा (Context Free Language - CFL) सीखने का जमिमा दिया जाता है।
- एक संक्षिप्त अवधितक वदिश मंत्रालय के साथ संलग्न रहने के बाद अधिकारी को वदिश में एक भारतीय राजनयिक मशिन पर नियुक्त किया जाता है जहाँ की स्थानीय भाषा 'सीएफएल' हो। वहाँ अधिकारी भाषा का प्रशक्तिषण प्राप्त करते हैं और फरि इनसे सीएफएल में दक्षता प्राप्त करने और एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बाद ही इन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है।

नयुक्त एवं पदोन्नति:

- आईएफएस अधिकारियों की नयुक्ति सामान्यतः दूतावास, वाणजिय दूतावास एवं वदिश मंत्रालय में की जाती है।
- ये वदिशों में अपनी सेवा तृतीय सचवि के तौर पर आरंभ करते हैं और सेवा में स्थायी होते ही द्वितीय सचवि के पद पर परोन्नत कर दिये जाते हैं।
- आईएफएस अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना राजदूत या वदिश सचवि के रूप में होती है। इनका पदक्रम इस प्रकार है-
- **दूतावास में:**
 - तृतीय सचवि (प्रवेश स्तर)
 - द्वितीय सचवि (सेवा में पुष्टि के बाद पदोन्नति)
 - प्रथम सचवि
 - सलाहकार
 - मशिन के उपाध्यक्ष/ उप उच्चायुक्त/ उप स्थायी प्रतिनिधि
 - राजदूत/उच्चायुक्त/स्थायी प्रतिनिधि
- **वाणजिय दूतावास में:**
 - उप वाणजिय दूत (Vice Consul)
 - वाणजिय दूत (Consul)
 - महावाणजिय दूत (Consul-General)
- **वदिश मंत्रालय में:**
 - अवर सचवि (Upper Secretary)
 - उप सचवि (Deputy Secretary)
 - नदिशक (Director)
 - संयुक्त सचवि (Joint Secretary)
 - अतिरिक्त सचवि (Additional Secretary)
 - सचवि (Secretary)

कार्य:

- वृत्तकि (Professional) राजनयकि के तौर पर आईएफएस अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह वभिन्न मुद्दों पर देश और वदिश दोनों में भारत के हितों का ध्यान रखेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। इनमें द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और नविश संवर्द्धन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रेस और मीडिया संपर्क तथा सभी बहुपक्षीय मुद्दे शामिल हैं।
- आईएफएस अधिकारी मुख्यतः देश के बाह्य मामलों जैसे- कूटनीति, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों, प्रवास संबंधित मामलों आदि से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं।
- ये भारत की वदिश नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में संलग्न रहते हैं।
- ये अपने दूतावासों, उच्चायोगों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के स्थायी मशिनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नयुक्त किये जाने वाले देश में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है।
- अनवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित मेज़बान राष्ट्र और उसकी जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में इनकी मुख्य भूमिका होती है।
- ये वदिश में उन घटनाक्रमों की सही-सही जानकारी देते हैं, जो भारत के नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।
- मेज़बान राष्ट्र के प्राधिकारियों के साथ वभिन्न मुद्दों पर समझौता-वार्ता करने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की होती है।
- वदिश मंत्रालय, भारत के वदिश संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं के लिये उत्तरदायी है। कषेत्रीय प्रभाग, द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक कार्य देखते हैं, जबकि क्रियात्मक प्रभाग, नीति-नियोजन, बहुपक्षीय संगठनों, कषेत्रीय दलों, वधिकि मामलों, नःशिस्त्रीकरण, नवाचार, भारतीय डायस्पोरा, प्रेस और प्रचार, प्रशासन तथा अन्य कार्यों को देखते हैं।